न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/29/2022

श्री तेज प्रकाश गौड पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल शर्मा, नमक का कटरा, भरतपुर।

........अपीलार्थी

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर।

..........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 24.05.2022

अपीलार्थी श्री तेज प्रकाश गौड पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल शर्मा, नमक का कटरा, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2022 से सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचना चाही गई थी। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/276 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर का जबाब पत्र कमांक/सू0अ0/प्र( )2021/2740 दिनांक 19.05.2022 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2022 में 6 बिन्दुओं पर सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचना चाही गई है। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 19.05.2022 में कथन किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना वृहद एवं अस्पष्ट होने से आवेदक को न्यास द्वारा अपने पत्र कमांक

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

1473–74 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा दस्तावेजों के अवलोकन कर सूचना चिन्हित करने हेतु पत्र जारी किया था परन्तु आवेदक के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यास के उक्त पत्र के सम्बन्ध में किसी कार्य दिवस में नगर विकास न्यास कार्यालय में उपस्थित होकर चाही गई वांछित सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन कर चाही जा रही सूचना चिन्हित करें। अतः उक्तानुसार अपील निर्णित की जाकर सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होने पर चिन्हित किये गये रिकार्ड की सूचना / प्रतिलिपि अपीलार्थी को विना बिलम्ब के उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को उसके वर्तमान पता प्लोट संख्या 212 मनीष अपार्टमेन्ट, शान्ती गोविन्द स्कूल के पास, चन्द्रपाडा नई गांव पश्चिम तह0 बसई जिला पालघर मुम्बई, महाराष्ट्र–401208 पर (नगर विकास न्यास से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न कर) एवं सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर को पालनार्थ भेजी जावें।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर